रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1014] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939
No. 1014] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/ AGRAHAYANA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, **21** दिसम्बर, 2017

सं०. 67/2017– केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1528(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1258(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, जो जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 और नवंबर, 2017 मास के दौरान इस प्रकार पात्र बन गए थे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के अर्हक हैं, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी.-01** में घोषणा करने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

No. 67/2017 – Central Tax

G.S.R. 1528(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and in supersession of notification No. 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1258 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017 and November, 2017 to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of January, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सं०. 68/2017–केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1529(अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1416(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 60/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5** में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

No. 68/2017 – Central Tax

G.S.R. 1529(E).—In In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 60/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1416 (E), dated the 15th November, 2017,